GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com · site: www.schooleducationharyana.gov.in

अधिसूचना

आदेश क्रमाक 24/2-2020 ACD (14) — दिनांक पंचकूला 29.09.2020

विषयः– राज्य में खण्ड स्तर पर स्थापित किए गए 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों' के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको अवगत करवाया जाता है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार, सरकार की स्वीकृति उपरान्त राज्य में खण्ड स्तर पर 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों' की स्थापना की गई है जिनकी सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि उक्त सूची बारे अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय मुखियाओं को अवगत करवाने की कृपा करें।

इन विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना करना आवश्यक है:–

1. सर्वप्रथम विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) की बैठक का आयोजन करके विद्यालय का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित करने की कार्यवाही की जाए। विद्यालय का नया नाम 'राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय' होगा।
2. इन स्कूलों में एक अलग विंग होगा जो सहशिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यम से संचालित होगा, जिसमें आगामी सत्र 2021–22 के लिए दाखिला आरम्भ कर दिया जाए। इन अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विंग की कक्षाएं अप्रैल, 2021 से आरम्भ होंगी। सभी विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त होंगे।
3. इन विद्यालयों में अध्यापकों के पद Non-Core माने जाएंगे जिन्हें सामान्य स्थानान्तरण नीति से बाहर रखा जाएगा। इन विद्यालयों में अध्यापक एक Special Screening Process के अन्तर्गत लगाए जाएंगे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा।
4. इस सन्दर्भ में सभी स्कूल मुखिया SMC की बैठक का आयोजन करके School Development Plan बनाकर निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे ताकि तदानुसार स्कूलों में ढांचागत विस्तार किया जा सके।
5. इन विद्यालयों में हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं होंगी लेकित अंग्रेजी माध्यम के सहशिक्षा विंग में दाखिला तथा मासिक फीस निम्नानुसार ली जाएगी (केवल अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए):–

क्रमांक	विषय	राशि	कक्षा
1.	एक मुश्त दाखिला राशि (One time admission fees)	500/−	1 से 5
		1000/−	6 से 12
2.	मासिक फीस (Monthly fees)	200/−	1 से 3
		250/−	4 से 5
		300/−	6 से 8
		400/−	9 से 10
		500/−	11 से 12

6. विद्यार्थियों से ली जाने वाली यह फीस 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' की धारा 21 (1) की अनुपालना में गठित स्कूल प्रबन्धन समिति (SMC) द्वारा विद्यालय के रखरखाव पर ही खर्च की जाएगी।
7. 134-A के तहत विशेष आरक्षणः– हरियाणा शिक्षा नियम–2003 की धारा 134-A के अनुसार BPL श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए फीस का निम्नानुसार प्रावधान होगाः–

BPL/EWS families having income (in Rs.)	**Percentage of Reservation**
Below 2 Lac	20%
2 lakh -2.50 Lac	10%
Above 2.50 Lac	No reservation

नोटः– **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना में बनाए गए नियमों में परिभाषित लाभ से वंचित वर्ग और कमजोर वर्ग के आरक्षण को उसी अनुपात में जारी रखा जाएगा।**

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक सम्.
दिनांक 29.09.2020

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती हैः–

1. प्रधान सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हरियाणा सरकार।
2. वरिष्ठ सचिव, माननीय शिक्षा मन्त्री हरियाणा सरकार।
3. वरिष्ठ सचिव, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. निजी सचिव, माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
5. निजी सहायक, माननीय निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
6. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, हरियाणा, पंचकूला।
7. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरूग्राम।
8. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
9. राज्य के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी।